यह निरीक्षण प्रतिवेदन वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर), द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए प्रधान कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर), के माह 12/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0मुट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री रामसनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 09/07/2018 से 17/07/2018 तक सम्पादित किया गया।

## भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा, श्री राकेश रंजन सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा द्वारा दिनांक 30/12/16 से 13/01/17 तक श्री बी0 डी0 सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** देश के प्रथम कृषि विश्वविधालय के रूप मे स्थापित वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, (उधमसिह नगर),एक प्रदर्शक रहा हें,जिसने कृषि, शिक्षा,शोध एवं प्रसार मे मानक स्थापित किए हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 58 वर्षो मे शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र मे अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध एवं प्रसार के सभी आयामों मे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ नई ऊंचाईयो को छुआ है। विश्वविद्यालय मे कृषि महाविद्यालय, ग्रह विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय,पशु चिकित्सालय एवं पशु पालन महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय अवस्थित हैं। इकाई का भौगलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य क्षेत्र हैं।

**(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु. लाख में)**

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | स्थापना | | | गैर स्थापना | | | आधि. (+) | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रा.शे. | आवंटन | व्यय | प्रा.शे. | आवंटन | व्यय | | |
| 1 | 2015-16 | - | 144.46 | 146.60 | - | 82.35 | 71.81 | 2.14 | 10.54 |
| 2 | 2016-17 | - | 159.16 | 151.40 | - | 61.58 | 58.95 | - | 10.39 |
| 3 | 2017-18 | - | 186.44 | 172.81 | - | 60.24 | 59.92 | - | 13.95 |
| 4 | 2018-19 (05/2018 तक) | - | 10000.00 | 4500.00 | - | 987.60 | 1154.64 | - | - |

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय

(iii) -

(iv) को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन अधिष्ठान मद मे उत्तराखंड शासन से तथा अनुसन्धान एवं प्रौद्योगिक कार्यो के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ,भारत सरकार से प्राप्त होता हें । इकाई की श्रेणी "बी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

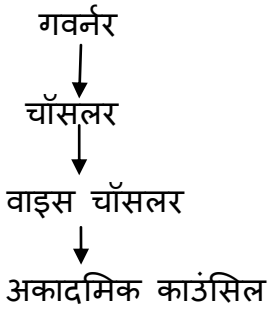


**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर), की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर), की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018,03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो(अ)

**प्रस्तरः–1 जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय पन्तनगर में अपात्र कार्मिकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष करने का अनुचित लाभ दिया जाना।**

गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर उधमसिंह नगर के लेखा अभिलेखों की जॉच करने पर पाया कि शासनादेश संख्या–954/XIII(II)/2013–02 (07)/2009–टी0सी0–2 दिनॉक 20.09.2013 के तहत विश्वविद्यालय के प्राचार्य/अधिष्ठाता एवं कक्षागत शिक्षण (Class room teaching) के अन्तर्गत आने वाले पदधारकों की अधिवर्षता सेवा निवृत्ति की आयु सीमा तत्काल प्रभाव से वर्तमान 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। दिनॉक 19.11.2013 को कुल सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया तथा सर्वसम्मति से गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्राचार्य/अधिष्ठता एवं कक्षागत शिक्षण (Class room teaching) के अन्तर्गत आने वाले पद धारकों की अधिवर्षता सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने की संस्तुति बैठक में प्रदान की गई लेकिन कक्षागत शिक्षण के सम्बन्ध में कुछ भ्रॉन्तिया उत्पन्न होने की सूचना मिल रही थी जिसपर स्पष्टीकरण हेतु विश्वविद्यालय पन्तनगर के वित्त नियन्त्रक विभाग द्वारा पत्र संख्या वि0वि0/ईएसटीए/शिक्षक/556/28 दिनॉक 21.04.2017 को इस आशय से अपर सचिव कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किया किः–

1. शासनादेश संख्या–954/(I)XIII(2)/2013 दिनॉक 20.09.2013 के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु 65 वर्ष का लाभ कक्षागत शिक्षण किस श्रेणी के शिक्षकों को माना जायेगा।

2. विश्वविद्यालय पन्तनगर के शोध निदेशालय/प्रसार निदेशालय/आई0सी0ए0आर0 की विभिन्न परियोजना /के0वी0के0 तथा पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा विभाग में यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत है को भी अनुमन्य होगा अथवा नहीं। इसके उत्तर में उत्तराखण्ड शासन ने अपनी पत्र संख्या 454/XIII(II)/2017-18 (2)/2016 दिनॉक 23.08.2017 के द्वारा पूर्व में किये गये प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा विभाग/परियोजना में लगे कार्मिकों की नियुक्ति की प्रकृति तथा यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित/निर्गत आदेश की सूचना शासन को उपलब्ध कराये। उपरोक्त के उत्तर में उत्तराखण्ड शासन ने अपनी पत्र संख्या 570/XIII(II)/2018-14 (2)/2016 दिनॉक 14.06.2018 को प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 954/XIII(2)/2013 दिनॉक 20.09.2013 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि प्राचार्य/अधिष्ठाता एवं कक्षागत शिक्षण के अन्तर्गत पदधारकों की ही सेवानिवृत्ति की आयुसीमा 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्य पदधारकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढाये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर में Directorate of Research, College of Tech. College of vet & University library में कार्यरत लगभग 30 कार्मिकों की मौलिक नियुक्ती Class room teaching के रूप में नहीं हुई है। जिनकी सेवानिवृक्त आयु 60 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष कर दी गई जिस कारण वर्ष में करोड़ों रूपये विश्वविद्यालय की वेतन के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने इस सम्बन्ध में दिनॉक 13.07.2018 की एक पत्र भी जारी किया है तथा इसके साथ अपने उत्तर में यह भी बताया कि प्रकरणों की जॉच करने के उपरान्त तथा उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद सूचना महालेखाकार कार्यालय की उपलब्ध करा दी जायेगी। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा विलम्ब से दिनॉक 21.04.2017 को दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया जिस कारण अपात्र कार्मिकों को वेतन के रूप में करोड़ों रूपयों का भुगतान विश्वविद्यालय पन्तनगर को करना पड़ रहा है। अतः अपात्र कार्मिकों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष करने का अनुचित लाभ देने का प्रकरण **शासन** के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर:1- विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 69.68 लाख की धनराशि के बिलो को छोटे-छोटे भागो मे विभक्त कर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली वर्ष -2008 की धारा -3(10) एवं delegation of financial power-1978 का उल्लंघन करना।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली वर्ष -2008 की धारा -3(10) एवं delegation of financial power-1978 के नियम के अनुसार निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथा-साध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित या छोटे -छोटे टुकड़ो मे विभक्त नहीं करना चाहिये और न ही कुल आवश्यक के **आन्क्लित** मूल्य के संदर्भ मे अपेक्षित उच्चतर अधिकारी की स्वीकृति करने की आवश्यक से बचने के लिए छोटे-छोटे भागो मे विभक्त करना चाहिये। कार्यालय संयुक्त निदेशक डेरी फार्म के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि डेरी फार्म द्वारा भिन्न-भिन्न वाउचर/बिल के माध्यम से उच्चतर अधिकारियों कि स्वीकृति से बचने के लिए बिलों कि धनराशि को 5 लाख या उससे अधिक नहीं होने दिया। उक्त प्रकरण मे निदेशक/कुलपति कि स्वीकृति करने की आवश्यक से बचने के डेरी फार्म द्वारा बिलों को छोटे-छोटे भागों मे विभक्त कर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली वर्ष -2008 की धारा -3(10) एवं delegation of financial power-1978 का उल्लंघन किया । बिलों का विवरण निम्नवत हैं।

| क्रम संख्या | चालान/बिल न0/दिनाक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 04/GR-0692 | 497610.00 |
| 02 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/457/20/11/17 | 498955.00 |
| 03 | -do- | 497700.00 |
| 04 | -do- | 498955,00 |
| 05 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/456/20/11/17 | 495900.00 |
| 06 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/456/20/11/17 | 498955.00 |
| 07 | -do- | 497700.00 |
| 08 | -do- | 498955.00 |
| 09 | -do- | 497700.00 |
| 10 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/97/20/11/17 | 497070.00 |
| 11 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/98/20/11/17 | 495800.00 |
| 12 | SPO/URC/RAWFEED/2017-18/98/411/17/08/17 | 497070.00 |
| 13 | -do- | 497640.00 |
| 14 | -do- | 497700.00 |
| योग | | ₹ 6967710.00 |

बिलों का भुगतान छोटे-छोटे भागो मे विभक्त करने के कारण का जब विश्वविद्यालय से लेखापरीक्षा द्वारा पूछने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया कि सूचना प्रेषित की जाएगी, तथ्यों की पुष्टि करते हुऐ विभाग ने अपने त्रुटि स्वीकार की।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

## भाग– 2 ब

**प्रस्तरः–2 धनराशि रू0 387.90 लाख व्यय करने के उपरान्त मंदाकिनी छात्रावास का निर्माण कार्य विगत 4 वर्षों से अवरूद्ध रहना।**

जी0पी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जनपद उधमसिंहनगर के लेखाअभिलेख की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि विश्वविद्यालय के मंदाकिनी छात्रावास में अतिरिक्त तीन विंगो के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या -246/XXIV(8)/2010-80/08 दिनांक 26.03.2010 को पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या सी0टी0ई0/913 दिनांक 05.02.2010 के अनुपालन में राज्यपाल महोदय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लि0 मेडिकल ईकाई हल्द्वानी द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 403.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 387.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि 55.00 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया गया। निर्माण कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना था। विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को द्वितीय किस्त माह 06/2011 धनराशि रू0 50.00 लाख, तृतीय किस्त माह 03/2012 धनराशि रू 150.00 लाख, चौथी किस्त माह 05/2013 धनराशि रू0 50.00, पाँचवी किस्त माह 10/2013 धनराशि रू0 50.00 लाख एवं अन्तिम किस्त 12/2014 को धनराशि रू0 32.90 लाख उपलब्ध कराई गयी।इस प्रकार कार्यदायी संस्था को 6 किस्तो में कुल धनराशि रू0 387.90 लाख उपलब्ध कराई गयी जो पूर्व में स्वीकृत की गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग को अवगत कराया कि वर्ष 2008 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर स्वीकृत आगणन के सापेक्ष भुगतान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक उपलब्ध कराये गये है। उक्त अवधि मे निर्माण सामग्री में वृद्धि हो जाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। जिसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्र संख्या –447/पी0एन0आर0–2/हल्द्वानी /रा.नि.नि./13 दिनांक 13.07.2013 के द्वारा पुनरीक्षित आगणन रू0 581.95 लाख प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व में कार्यदायी संस्था की रू0 387.90 लाख शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है। संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि रू0 194.05 लाख की अतिरिक्त मांग दिनांक 13.07.2013 को की गई थी। निर्माण कार्य वर्ष 2014 से बन्द पड़ा है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने खुद स्वीकारा कि निर्माण कार्य विगत चार वर्षों से धनराशि के अभाव में बन्द पड़ा है। जिसके लिए आगणन कार्य दायी संस्था द्वारा निदेशक निर्माण एवं संयन्त्र गो0व0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर को दिनांक 13.07.2013 को प्रेषित किया था। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्था को समय–समय से यदि धनराशि उपलब्ध कराई गई होती तो निर्माण कार्य की लागत में ही रही निरन्तर वृद्धि को रोका जा सकता था तथा जिस उद्देश्य से छात्रावास का निर्माण किया जा रहा था उस उद्देश्य की पूर्ति भी यथा समय से होती।

अतः प्रकरण उच्च्अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-3:- शासन से प्राप्त धनराशि 65.07 करोड़** का उपयोग न कर **पी एल ए खाते में अनुपयुक्त** पड़े **रहना।**

हस्तपुस्तिका मे निहित प्रावधानों के अनुसार एवं भुगतान एवं प्राप्ति नियमावली-1983 के नियम -160 के अनुसार कोई भी धनराशि विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी रहने की स्थिति मे स्वतः व्यपगत हो जाती है, आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होता है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए वह अनुपयोगी धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप मे समायोजित कराना सुनिश्चित करें। कार्य पूर्ण होने पर अवशेष राशि यदि कोई हो, तो शासन को वापस कर दिया जाना चाहिए ।

कार्यालय वित्त नियंत्रक जी0 बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (उधमसिंह नगर) के अवधि 12/2016 से 06/2018 तक लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विभाग के अंतर्गत पी एल ए खाते मे कुल **₹ 65.07** करोड़ की धनराशि अनुपयोगी/अप्रयुक्त पड़ी हुए थी। जिसका मद वार विवरण निम्नवत हैं।

| **क्रम संख्या** | **वर्ष** | **मद का नाम** | **अवशेष र धनराशि (042018) तक** |
|---|---|---|---|
| 01 | 15/05/15 | वेतन allowances | 550000000.00 |
| 02 | 17/03/16 | सायहक अनुदान(08-20) | 2500000.00 |
| 03 | | सायहक अनुदान(03-20) | 8417000.00 |
| 04 | 04/09/2015 | सायहक अनुदान(06-20) | 2000000.00 |
| 05 | | पूंजीगत परि संपत्तिया | 8500000.00 |
| 06 | | विश्वविद्यालय के पूर्ण PLA अंतरण | 4940000.00 |
| 07 | | 06 पशु चिकित्सा | 60000000.00 |
| 08 | | विश्वविद्यालय हेतु विशेष अनुदान | 14400000.00 |
| योग | | | 650757000.00 |

₹ 65.07 करोड़ शासन से प्राप्त धनराशि इकाई द्वारा चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी शासन को वापस नहीं किया गया। जो स्पष्ट करता है कि विभाग द्वारा शासकीय बजट को समर्पित किए जाने से बचने के लिए उक्त धनराशियों को पी एल ए खाते में रखा गया। जिससे न तो संबन्धित कार्य संपादित कराये गये और न ही धनराशि शासन को वापस की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण शासन से प्राप्त धनराशि र`65.07 करोड़ पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि धनराशि को इसी आवश्यकता अनुसार वित्त नियंत्रक से स्वृकिती प्राप्त कर व्यय कर लिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने 05/ 2015 से 04/2018 तक की अवधि में धनराशि पी एल ए खाते मे रखी हुई थी, लेकिन 3 वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण शासन से प्राप्त धनराशि ₹ 65.07करोड़ पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़ी हुई थी।

₹ 65.07 करोड़ का उपयोग न कर पी एल ए खाते में अनुपयुक्त पड़े होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-4- अग्रिम धनराशि रु. 3,86,27,818 का समायोजन न किया जाना।**

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 12/2016 से 03/2018 तक अग्रिम में धनराशि का आहरण किया है। जिसका विवरण निम्न हैः

| Sr. No. | Period | Page No. | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2017 to 31.03.2017 | 02 to 40 | 6935729/- |
| 2. | 12.04.2017 to 31.03.2018 | 02 to 80 | 21131603/- |
| 3. | 24.05.2017 to 31.03.2018 | 02 to 80 | 10560486/- |
| Total | | | **3,86,27,818** |

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अग्रिम के कुल धनराशि रु. **3,86,27,818** का आहरण किया गया है जिसका लेखापरीक्षा अवधि तक समायोजन नहीं किया गया जब कि नियमानुसार अग्रिम के आहरण करने के एक माह के अंदर अथवा उस वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा को अवगत कराए जाने पर कि किन कारणों से उपरोक्त धनराशि जो दिसम्बर 2016 से मार्च 2018 तक कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा असमायोजित पड़ी हुई हैं। संस्था ने अपने उत्तर में बताया कि समायोजन कर दिया जायेगा। संस्था का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अग्रिम के आहरण करने के एक माह के अंदर अथवा उस वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाना था इसके अतिरिक्त उपरोक्त धनराशि में से कुछ हैवी अमाउंट भी है जो लगभग 33 लाख या उसे ज्यादा की धनराशि हैं और एक ही अधिकारी के विरूद्ध असमायोजित पड़ी हुई है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर:5- रोकड़ वही की विस्तृत जांच हेतु चयनित माहों का DDO reconciliation स्टेटमेंट (बीएम-05) से मिलान के दौरान र 2.19 करोड़ के vouchers की प्रविष्टि शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ बही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05, भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए के अनुसार फॉर्म न0-02 मे वही लिखी जाएगी जिसमे प्राप्ति पक्ष मे समस्त नगद प्राप्तियों को प्राप्ति रशीद से मिलान करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। रोकड़ बही का मिलान के समय सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि निम्न लिखित वाउचर का इंदराज रोकड़ वही मे संस्था द्वारा अंकित नहीं किया गया था, एवं न ही उक्त vouchers को सम्प्रेक्षा के अवलोकनार्थ/जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था। कार्यालय वित्त नियंत्रक जी0 बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (उधमसिंह नगर) का अप्रस्तुत वाउचर का विवरण निमन्वत हैं।

| क्रमसंख्या | कोषागार/ वाउचर/माह | धनराशि(₹) |
|---|---|---|
| 01 | 18051/03/17 | 1730126.00 |
| 02 | 18052/03/17 | 14261286.00 |
| 03 | 18053/03/17 | 107807.00 |
| 04 | 18090/03/17 | 64480.00 |
| 05 | 18237/03/17 | 433010.00 |
| 06 | 18245/03/17 | 373023.00 |
| 07 | 18253/03/17 | 148700.00 |
| 08 | 118265/03/17 | 61930.00 |
| 09 | 17313/03/17 | 123277.00 |
| 10 | 18272/03/17 | 97005.00 |
| 11 | 18506/03/17 | 188094.00 |
| 12 | 18526/03/17 | 188507.00 |
| 13 | 18530/03/17 | 209886.00 |
| 14 | 18531/03/17 | 130000.00 |
| 15 | 18586/03/17 | 50140.00 |
| 16 | 18587/03/17 | 299760.00 |
| 17 | 18585/03/17 | 120131.00 |
| 18 | 18588/03/17 | 120000.00 |
| 19 | 18590/03/17 | 58138.00 |
| 20 | 18595/03/17 | 347479.00 |
| 21 | 18604/03/17 | 63900.00 |
| 22 | 18609/03/17 | 88082.00 |
| 23 | 18632/03/17 | 50000.00 |
| 24 | 18670/03/17 | 138170.00 |
| 25 | 18678/03/17 | 154161.00 |
| 26 | 18679/03/17 | 151450.00 |
| 27 | 18709/03/17 | 75000.00 |
| 28 | 11007/03/18 | 50000.00 |
| 29 | 11004/03/18 | 500000.00 |
| 30 | 10997/03/18 | 318000.00 |
| 31 | 11022/03/18 | 1141491.00 |
| 32 | 11025/03/18 | 78251.00 |
| योग | | 21921584.00 |

₹ 2.19 करोड़ के vouchers जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 , भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए का उल्लंघन है। इस संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग को इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया हैं कि समस्त vouchers की रोकड़ बही मे प्रवष्टि तो की गयी हैं परंतु इकाई द्वारा उनका अवलोकन आगामी सम्प्रेक्षा मे सम्प्रेक्षा दल को करा दिया जाएगा। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर:6- विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि विज्ञान के केन्द्रो मे नियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी-6 को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम मे वेतन बैंड ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 के स्थान पर ग्रेड वेतन 6000 अनुमन्य करने के संबंध में।**

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या -646/XIII(II)/2015-31(1)/2014 दिनाक -07/10/2015 मे स्पष्ट किया गया हैं। विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि विज्ञान के केन्द्रों में नियुक्त विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी-6 को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम मे वेतन बैंड ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 के स्थान पर ग्रेड वेतन 6000 अनुमन्य करने के संबंध मे सयुक्त सचिव द्वारा प्रश्न किया गया कि बिना शासकीय अनुमति के वस्तु विशेषज्ञ/टी-6 को ग्रेड वेतन 5400 के स्थान पर ग्रेड वेतन 6000 किन परिस्थिति मे grant किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विस्तार संभाग कृषि अनुसंधान भवन -1 पूसा New delhi के पत्र संख्या -कृषि विश्वविधालय 915/2018-कृ0वि0-2 दिनाक -18/04/18 मे भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त संदर्भित कार्मिको को सहायक प्राध्यापक के समकक्ष मानते हुऐ वेतन बैंड ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6000 अनुमन्य होगा या नहीं इस संबंध मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विस्तार संभाग कृषि अनुसंधान भवन -1 पूसा ने स्पष्ट कर दिया गया हैं कि नहीं, यह प्रस्ताव व्यय विभाग वित्त मन्त्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जाएगा। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि विज्ञान के केन्द्रों में नियुक्त वस्तु विशेषज्ञ/टी-6 को 5400 के स्थान पर 6000 प्रदान कर शासनादेश का उल्लघंन किया गया हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय से पूछने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया हैं कि प्रकरण नियमानुसार जांच करने के बाद ही उक्त प्रकरण मे कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय का उत्तर लेखा परीक्षा मे मान्य नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा शासनादेश का उलंघन किया गया हैं। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर-1- ICAR योजना से प्राप्त धनराशि ₹ 61.81 लाख के Research work के सापेक्ष कराये गए कार्यो की समाप्ती के पश्चात ₹ 19.78लाख के उपियोगिता प्रमाणपत्र संप्रेक्षा समाप्ति तिथि -17/07/2018 तक इकाई को उपलब्ध न कराने के संबंध मे ।**

कार्यालय वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर द्वारा संचलित research centre द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 मे निम्न योजना संचलित की गयी थी जिसमे से निम्न योजना के उपयोगिता प्रमाणपत्र संप्रेक्षा समाप्ति तिथि -17/07/2018 तक इकाई को वित्तपोषित एजेंसी/research centre से अप्राप्त थे, जिनका विवरण निम्नवत है।

| क्रम संख्या | Code number | योजना का नाम | कार्य का नाम | धनराशि ₹ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3307 | Developmentt of commercially viable process technologies for weaning food | Research work | 530427.00 |
| 02 | 7044 | Productivity enhancement of Rapeseed mustered crops | Research work | 1447087.00 |
| योग | | | | 1977514.00 |

उक्त प्रकरण मे Research Centre के द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराना एवं इकाई द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी। इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे इस कार्यालय को अवगत कराया गया हैं कि ₹ 19.78 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दिये जायगें। इकाई का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं उनके द्वारा कार्य समाप्ती रिपोर्ट की निगरानी मे शिथिलता बरती गयी थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या | अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 2001-02 से 2006-07 | - | 10 | - |
| 2009-10 | 03 | 05 | - |
| 2012-13 | 01 | 07 | - |
| 2014-15 | 05 | 05 | |
| 2016-17 | - | 06 | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| उच्चाधिकारियों के संज्ञान में | उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया | उच्चाधिकारियों के संज्ञान में | उच्चाधिकारियों के संज्ञान में | उच्चाधिकारियों के संज्ञान में |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 से 2006-07 एवं 2009-10 ,2012-13 ,2014-15 ,2016-17 इकाई द्वारा उक्त प्रस्तरों की बाबत अपनी अनुपालन आख्या मे इस कार्यालय को अवगत कराया है कि संदर्भित प्रस्तर कि अनुपालन आख्या शासन स्तर से उच्च अधिकारी कि संस्तुति के उपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। | | | | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविधालय पंतनगर,(उधमसिह नगर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम / पदनाम | दिनांक |
|---|---|---|
| **1.** | डॉ मंगला राय कुलपति | 21/03/15 से 26/09/16 |
| 2. | डॉ जे0 कुमार-- कुलपति | 27/09/16 से 25/09/17, |
| 3. | डॉ आदित्य कुमार मिश्रा -कुलपति | 26/09/17 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति वित्त नियत्रक जी0 बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,(उधमसिह नगर), को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, **248195** देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**